होगा । अगर आप इस बिल को पास करेंगे तो मैं समझता हूं कि विधान की हैसियत एक स्कूल के लड़के की एक्सरसाइज बुक जैसी हो जायेगी कि जिसको जब चाहा तब काट दिया और बदल दिया । जब चाहा तब विधान को बदल दिया, ऐसा करने से तो यह बच्चों का खेल हो जायेगा । ऐसा करके तो जो सरकार प्रजातांत्रिक उसूलों पर चलना चाहती है, वही उनका जनाजा निकाल रही है और हम जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम से कहा जाता है कि तुम खलल अन्दाज होते हो । इस बिल को पास करना प्रजातांत्रिक उसूलों पर कुठाराघात करना होगा और इसलिये इसको पास नहीं किया जाना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि अपोजीशन का यह कर्त्तव्य है कि अगर सदन में कोरम न हो तो वह सदन को इस बात का ध्यान दिलाये । हमको जनता ने यहां चुन कर भेजा है और मैं समझता हूं कि ऐसा करना हमारा कर्त्तव्य है । मैं समझता हूं कि संसद् सदस्य इस बात को महसूस करें कि उनका फर्ज क्या है और विधान में इस तरह को चेंज न किया जाये । हमको विधान में हमेशा कांट छांट नहीं करते रहना चाहिये । इस प्रकार से विधान को बदला गया तो इसका लोगों पर बुरा प्रभाव होगा । मैं समझता हूं कि इस बिल को वापस लिया जायेगा और मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी एफेयर्स, जो कि प्रजातंत्र के प्रतीक हैं और जिनका कर्त्तव्य है कि सदन में पूरा कोरम रखें, अपने इस कर्त्तव्य का पालन करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब का कर्त्तव्य है ।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): Sir, we have patiently and carefully listened to the speeches made on this Bill. We feel that the matter requires further consideration and, probably, it cannot be disposed of in the limited time which is allotted to Private Members' Bills. Therefore, I move:

"That the debate on this Bill be adjourned".

Dr. L. M. Singhvi: Is he moving for an adjournment of the House or is he adjourning the discussion?

Shri Hajarnavis: Because, even if it is adjourned, it will probably come up for discussion on a future date. What is attempted to be done, or what we are trying to do is, as the Minister of Parliamentary Affairs has stated, to substitute....

Shri S. M. Banerjee: Sir, on a point of order.

Dr. L. M. Singhvi: Is it adjournment or postponement?

Mr. Deputy-Speaker: It is adjournment.

Shri S. M. Banerjee: May I submit.....

An Hon. Member: The question may be put.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the debate on this Bill be adjourned".

The motion was adopted.

16.20 hrs.

DELHI LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL

by Shri Naval Prabhakar

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol Bagh): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954 and also to amend the Delhi Land Reforms (Amendment) Act, 1959 be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन विधेयक दिल्ली के किसानों को जो सुविधायें पहले के कानून के अनुसार दी गई हैं, उन को पूरा करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है ।

श्रीमन्, हमने १९५४ के अन्दर दिल्ली भूमि सुधार नामक एक विधेयक दिल्ली की विधान सभा में पास किया और दिल्ली के उन किसानों को, जोकि वह और उनके पूर्वज जिस भूमि को जोतते चले आ रहे थे और

[श्री नवल प्रभाकर]

अपने अधिकार से वंचित थे, उनको अधिकार दिया गया। सन् १९५४ का जो भूमि सुधार अधिनियम बना उस में यह अधिकार उनको दिया गया कि जो भूमि को जोतता है, बोता है, वही उसका मालिक होगा, उस का स्वामी होगा।

वह विधेयक तो पास हो गया। अधिनियम बन गया और लागू हो गया किन्तु जो किसानों को एक आशा थी, बहुत दिन से एक आशा थी और हमारी सरकार का भी कहना है कि भूमि उसकी जो उसे जोते या बोये, वह आशा पूरी नहीं हुई है। उसके जब बनने का समय आया तो उसमें एक कमी या खामी रह गयी और उसी को मैं बताने के लिये एक छोटा सा विधेयक लाया हूं। इस विधेयक के द्वारा जो कमी रह गयी है उसकी तरफ जो मैंने संकेत किया है वह मैं बताना चाहता हूं।

इस विधेयक में कहा गया है कि एक अधिकार दिया गया था १९५४ के विधेयक में और फिर १९५९ के विधेयक में जिसमें कि स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया था कि चीफ कमिश्नर महोदय को या डिप्टी कमिश्नर महोदय को यह अधिकार होगा और उनके द्वारा जो भूमिधरी के सर्टिफिकेट अथवा प्रमाणपत्र दिये जायेंगे वे सही होंगे। विधेयक में या अधिनियम में तो वह बात यही थी किन्तु दिल्ली प्रशासन में, या तो यह समझिये कि उन्होंने उस अधिनियम को समझने की कोशिश नहीं की या उनकी शब्दावली का जो भावार्थ था उसे वे अच्छी तरह से नहीं समझ सके। उस के कारण जो अधिकार डिप्टी कमिश्नर को दिये गये थे या चीफ कमिश्नर महोदय को दिया गया था कि चीफ कमिश्नर महोदय एक सूचना के द्वारा, राजकोय गजट में एक सूचना के द्वारा किसी को अधिकार देंगे, डिप्टी कमिश्नर को, और डिप्टी कमिश्नर जो है वह भूमिधरी का जो सर्टिफिकेट है वह बांटेगा, हुआ यह कि चीफ कमिश्नर साहब ने ऐसा लगता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया कि भाई भूमिधरी का सर्टिफिकेट बांटना है और डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने नीचे वाले अधिकारी को बुला कर रैवेन्यू असिसटेंट को कह दिया, माल अफसर को कहा कि जो भूमिधरी के सर्टिफिकेट्स हैं वे बांट दिये जायें। जो माल अफसर थे वे थोड़ा और आगे चले गये। उन्होंने तहसीलदार को कहा कि भूमिधरी के सर्टिफिकेट्स बांट दिये जायें। उस समय इस कानून का कोई ख्याल नहीं किया गया और उस के कारण यह भूमिधरी के सर्टिफिकेट्स बांटे गये। सारी दिल्ली के अन्दर इस तरीके के भूमिधरी के प्रमाणपत्र लोगों को दिये गये। प्रमाणपत्र जिस समय मिले तो एक बड़ी आशा सामने आई। वह किसान जो सैंकड़ों वर्ष से दबे चले आ रहे थे उन्होंने एक सन्तोष की सांस ली। उस ने यह सोचा कि अब मैं भूमि का मालिक बन गया हूं क्योंकि मुझे भूमिधरी का सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। घरों में और गांवों में बहुत खुशियां मनाईं और यह कहा कि आज हमारे लिये एक नवल प्रभाकर का उदय हुआ है, एक नव जागरण का समय आया है किन्तु वह जो नवल प्रभाकर का उदय हुआ था, वह अस्त होने वाला है। वह उस समय अस्त होने लगा जबकि जो जमींदार लोग थे, उन्होंने दावे दायर कर दिये और दावे दायर करके उन्होंने यह कहा कि जो प्रमाणपत्र दिये गये हैं वे सही नहीं दिये गये हैं। इस की जांच पड़ताल हुई। मुकद्दमे चले और काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ। वह बेचारा किसान, वह बेचारा मुजारा जो कि आशा लगाये हुए बैठा था, जिसके कि पास पूंजी नहीं थी, पैसा नहीं था, उसे एक यह उम्मीद थी कि जमीन मिलेगी और वह उसको जोतेगा, वह आशा निराशा में बदल गयी। उसको अदालतों के दरवाज़े देखने पड़े। १९५४ से लगा कर आज तक कितना समय हो गया है बराबर अदालत के दरवाज़े वह लोग देख रहे हैं। जिस जिस मिली हुई जमीन को वह

एक वरदान समझने लगा था वह उसके लिए एक अभिशाप हो गया है क्योंकि वह उस भूमि पर अच्छी तरह से कोई भी काम नहीं कर सकता है । आये दिन रोज अदालत में खड़ा रहता है और जो वकील साहब हैं उनको पैसा देता है । आज उन बेचारे ग़रीब किसानों की पैसा देने की उतनी हिम्मत भी नहीं है । इतना उनके पास देने को पैसा भी नहीं है किन्तु जितना कर्ज मिल सकता था, जितना छोटा मोटा जेवर था उसको बेच बाच कर उसमें लगा दिया लेकिन उसके बावजूद भी उसका परिणाम यह निकला कि जो उनकी आशा बंधी थी वह निराशा में बदल गयी । एक, दो नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे केसेज अदालत के अन्दर फेल हो गये । वह जमींदार जो कि हजारों साल से कब्जा किये चले आते थे, उन किसानों और मुजारों का शोषण करते चले आ रहे थे वह फिर से मालिक हो गये । सरकार का एक आशय था सरकार ने एक वरदान दिया था वही दिल्ली की असेम्बली में और उसका समर्थन यहाँ पर इस सदन के अन्दर भी किया गया १९५९ में किन्तु श्रीमन्, आज वह वरदान और समर्थन जो यहाँ से हुआ था वह उनके लिए अभिशाप हो गया । अब उनके पास कोई बड़ी पूंजी तो थी नहीं, जितना उनको थोड़ा बहुत जेवर आदि बेच कर कर्ज मिल सकता था, वह उसमें लगा दिया । आज वह लोग बिल्कुल मुफलिस हो गये हैं । आज उनके पास पैसा नहीं है और जिस जमीन की उनको आशा थी, वह आशा भी उनके पास नहीं रही है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक को माना जाय और मान कर उन लोगों को जिनको कि हमने यह एक वरदान दिया था, जो उनको एक राहत दी थी और जिस राहत की वह बहुत आशा लगाये हुए थे, अब इस बिल को मान कर उनको फिर से वह राहत दी जाय ।

उसके अन्दर एक और भी इस तरह की बात है कि १९५९ में हमने लैण्ड रिफार्म्स बिल को अमेंड किया और अमेंड करने के बाद इस तरह का हमने उसके अन्दर संशोधन किया । उस संशोधन में यह कहा गया कि अब तक जो जमीनें बिक गयी हैं वह बिक गयी हैं । १५ गाँवों की उसमें मैं कहानी आपको बतलाऊं । जब १९५४ का भूमि सुधार कानून दिल्ली की विधान सभा में आया और उसके बाद जब वह पास हुआ तो उस समय दिल्ली के सारे गाँवों पर वह लागू किया गया । दिल्ली के सारे गाँवों पर वह लागू हो गया किन्तु थोड़े दिन के बाद ही मैं नहीं कह सकता किन कारणों से, दिल्ली विधान सभा ने जब उसके अन्तिम दिन अन्तिम घड़ी के अन्दर, जो आखिरी आध घंटा था, उसमें एक बिल लाया गया और उस बिल के द्वारा यह कहा गया कि चूंकि दिल्ली का शहर बढ़ रहा है और दिल्ली शहर बढ़ने के लिए, उसको अरबन एरिया बनाने के लिए उसमें और जमीन की आवश्यकता है, इसलिए कुछ खास पन्द्रह गाँव थे, जिन को भूमिदारी से वंचित कर दिया गया । वे पन्द्रह गाँव भूमिदारी से वंचित हो गए और किसी को पता भी न चला, क्योंकि दिल्ली एसेम्बली टूटने वाली थी और जल्दी में वह बिल पास कर दिया गया । वह बिल वहाँ से पास तो हो गया और कानून भी बन गया, लेकिन उसके बाद हमारे महामान्य गृह- मन्त्री जी, स्वर्गीय पंडित पन्त, को उन किसानों ने कहा, "श्रीमन्, हमने क्या कुसूर किया है कि सारी दिल्ली में तो यह कानून लागू किया गया, लेकिन हमको जो अधिकार दिया गय, वह हम से छीन लिया गया ?" स्वर्गीय पन्त जी ने जब उनकी करुण कहानी सुनी, तो उनको सारी स्थिति समझ में आ गई और एक संशोधन करने के लिए एक विधेयक यहाँ पर लाया गया, जिसके अनुसार उन पन्द्रह गाँवों को फिर से भूमिदारों के अधिकार दिये गए । उस विधेयक में कुछ इस तरह की शब्दावली रखी गई कि १९५४ के बाद और उस विधेयक के आने से पहले, इस बीच में, जो जमीनें बिक गई हैं, उन जमीनों पर यह कानून लागू नहीं होगा ।

[श्री नवल प्रभाकर]

उस कानून के बनने के बाद फिर मुकदमेबाजी हुई और आप जानते हैं कि जो पैसे वाले होते हैं, बड़े जमींदार लोग होते हैं, वे अदालत का रास्ता अख्त्यार कर लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सैकड़ों जमींदारों ने अदालत में जाकर झूठे बयाने, एडवांस रकमें, लिखवा दिये। उन्होंने यह लिखवा दिया कि उनकी जमीनें १९५४ या उससे पहले बेची गई थीं, ताकि जो कानून बनावे, वे उस की जद में न आ सकें। आज दिल्ली की अदालतों और हाई कोर्ट में ऐसे बहुत से मामले पड़े हुए हैं। बहुत से किसानों के खिलाफ़ इस तरह के फैसले हो गए हैं और वे बेचारे अपने अधिकारों से वंचित हो गए हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से उनको अधिकार दिये गए, उनको आश्वासन दिया गया और उन्होंने एक सुख की सांस ली, लेकिन जैसे किसी भूखे के सामने भोजन रखें और जब वह एक ग्रास उठा कर मुंह में डालने लगे, तो उसका हाथ पकड़ लिया जाये, आज वही हालत उन लोगों की है। मैं गृह मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो अधिकार उन को दिया गया है, वह अधिकार कायम रहे और शब्दावली का जो हेर-फेर है, उसको ठीक कर लिया जाय। मैं चाहता हूं कि उस हेर-फर को ठीक करके उन गरीब किसानों को उनके अधिकार उसी प्रकार से प्राप्त किये जायें।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Delhi Land Reforms Act, 1954 and also to amend the Delhi Land Reforms (Amendment) Act, 1959 be taken into consideration."

श्री सरजू पांडेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि इसके उद्देश्यों में लिखा हुआ है, दिल्ली लैंड रिफ़ार्म्ज एक्ट, १९५४ की धारा ११ और १३ के अन्तर्गत डिपुटी कमिश्नर को यह अख्त्यार दिया गया था कि वे किसानों को भूमिदारी का अधिकार दे। इसके साथ ही डिपुटी कमिश्नर को यह भी पावर थी कि वह जिस किसी को चाहे, उसको भी इस बात का अख्त्यार दे कि वह किसानों को भूमिदारी का अधिकार दे सके। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने इस तरह का अख्त्यार नहीं दिया और, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, जिन बहुत से किसानों को भूमिदारी के अधिकार दिये गए थे, अदालतों ने उनको इस आधार पर बेदखल कर दिया कि चीफ कमिश्नर ने बाकायदा गजेट जारी करके रेवेन्यू एसिस्टेंट को डिपुटी कमिश्नर के कर्त्तव्यों को पूरा करने का अधिकार नहीं दिया था और डिपुटी कमिश्नर ने स्वयं उनको भूमिदारी के अधिकार नहीं दिये थे इस कारण बहुत से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन यह कहा गया है कि ऐसा फैसला हुआ है कि चूंकि डिपुटी कमिश्नर ने इसमें हुक्म नहीं दिया है, इसलिए जो भूमिदारी के हक दिये गए हैं, वे रद्द कर दिये गए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने मालूम किया है, जितने फ़ैसले हुए हैं, वे सब किसानों के हक में हुए हैं। उनमें कहा गया है कि अगर कार्रवाई डिपुटी कमिश्नर ने नहीं भी की है, रेवेन्यू एसिस्टट ने किया है, फिर भी जो कुछ उन्होंने हुक्म दिया है, वह वाजिब है। इस तरह के हाईकोर्ट के फ़ैसले हैं। अगर कोई फ़ैसला इससे भिन्न हुआ हो, तो मैं उसकी जानकारी लेना चाहता हूं।

श्री सरजू पांडेय : यह तो माननीय सदस्य ही बता सकते हैं, जिन्होंने इस बिल को पेश किया है।

श्री हजरनवीस : अगर वह बताये, तो मैं कुछ कह सकूंगा।

श्री सरजू पांडेय : मुझे तो ऐसे केसिज़ मालूम नहीं हैं, लेकिन इस बिल के उद्देश्यों में यह बात कही गयी है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी बात हुई है, तो लाज़िमी तौर पर इस धारा को तब्दील करना चाहिए और उन तमाम किसानों को, जो इस दौरान में बेदख़ल किये गए हैं सिर्फ़ इस आधार पर कि जिन लोगों ने उनको भूमिदारी के राइट दिये, उन को भूमिदारी के राइट देने का अख्त्यार डिपुटी कमिश्नर ने नहीं दिया, भूमिदारी के अधिकार देने चाहिए। इस बिल को पेश करने वाले माननीय सदस्य को इस बारे में ज्यादा जानकारी होगी। मैं समझता हूं कि कानून की इस तरह की गड़बड़ियों को दूर किया जाना चाहिए, जिनके कारण हजारों लोग सफ़र करते हैं। इस कानून के बनने के बाद उन बेचारों को यह आशा बंधी थी कि हम ज़मीनों के मालिक बनेंगे, लेकिन उन की आशाओं पर बहुत अधिक कुठाराघात हुआ है। इस लिए मेरा निवेदन है कि अगर इस क़िस्म की बातें हुई हैं, तो मन्त्री महोदय को लाज़िमी तौर पर इन सुझावों को मानना चाहिए और एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए, ताकि जो किसान बेदखल हुए हैं, उन सब को भूमिदारी का अधिकार मिले।

श्री सूर्य प्रसाद (भिंड) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री नवल प्रभाकर, ने जो बिल रखा है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। इस बिल की भावना तो बहुत अच्छी है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि जिन लोगों को ज़मीनों के पट्टे दिये गए, उनको कानूनी त्रुटि की वजह से परेशानी हुई। मुझे खुशी है कि कृषि मन्त्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। यह सिर्फ दिल्ली का ही मसला नहीं है, बल्कि सारे देश में लोगों को इस तरह के पट्टे दिये गए और उनमें बहुत सी खामियां हैं। मैं तो कहूंगा कि केवल दिल्ली की तरफ ही एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान नहीं जाना चाहिए, बल्कि लैंड रिफ़ार्म्ज़ के सिलसिले में जितने भी कानून बने हैं, उनमें जो भी ख़ामियां हैं, होम मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को उन्हें देखभाल करनी चाहिए।

आज सारे देश में यह नारा लगाया जाता है कि पैदावार बढ़ानी चाहिए। हम को विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता है और उसके बदले में काफी सोना देना पड़ता है। मैं तो कहूंगा कि महत्व की दृष्टि से डिफ़ेंस के बाद दूसरा जो महकमा है, वह एग्रीकल्चर का है, देश के लोगों के लिए खाने-पीने की सामग्री को जुटाने का है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में जैनविन टिल्लर के पास ज़मीन होनी चाहिए। दुनिया भर की कोशिश की गई, ब्लाक बनाए गए, यह बनाया गया, वह बनाया गया, लेकिन फिर भी हमारे लक्ष्य के अनुसार पैदावार नहीं बढ़ी। इसका एक मतलब यह है कि देश में जो जेनविन टिल्लर है, उस के पास ज़मीन नहीं है। दूसरे मुल्कों में ज़मीन का रक़बा कम है, लेकिन पैदावार ज्यादा है, जबकि हमारे मुल्क में ज़मीन का रक़बा ज्यादा है, पैदावार कम है।

मैं अपने इलाके की बात कहता हूं। सीलिंग और दुनिया भर की रिफ़ार्म्ज़ होने के बाद भी, ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन न हुई; अभी एक एक आदमी के पास तीन, चार सौ एकड़ ज़मीन है। आप सोचिए कि जिस आदमी के पास तीन, चार सौ एकड़ ज़मीन है, वह उतनी अच्छी तरह काश्त नहीं कर सकता, जितनी अच्छी तरह थोड़ी ज़मीन वाला कर सकता है, जो यह समझता है कि यह मेरी ज़मीन है। जिसके पास तीन, चार सौ एकड़ ज़मीन है, वह ज्यादा से ज्यादा तीस या चालीस बीघा ज़मीन पर काश्त कर सकता है। बाकी या तो वह बटाई से करायेगा, या नौकर रख कर करेगा। जो नौकर होता है वह जमीन से उतनी अच्छी पैदावार नहीं कर सकता है जितनी अच्छी खुद मालिक जो होता है वह कर सकता है। उसकी अपनी ज़मीन होती है और जब वह खुद मेहनत करता है तो पैदावार भी बहुत ज्यादा करता है। मैं कहना

[श्री सूर्य प्रसाद]

चाहता हूं कि लैण्ड रिफार्म के आपने जितने कानून बनाये उनकी देखभाल करना भी आपका फर्ज है । आपको देखना चाहिये कि जो जैनुइन टिल्लर है जो मेहनत और मुशक्कत लगा कर ज्यादा से ज्यादा पदावार करने की कोशिश करता है, उसको जमीन दी जाए । इसके बगैर खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती है । एक आदमी जो मकान में रहता है, उसको अगर आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यह भी देखना होगा कि आप उसमें खिड़कियां बनायें, तथा आसपास उसके सफाई रखें और जब तक ऐसा नहीं होता है आप उसको स्वस्थ नहीं देख सकते हैं । इसी तरह से गाय को ही आप लें । उससे आप ज्यादा से ज्यादा अगर दूध लेना चाहते हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि गाय क्या कसाई के पास है या उसकी जो पूजा व सेवा करता है, उसके पास रहती है । अगर इस की तरफ ध्यान आप नहीं देते हैं तो गाय ज्यादा दूध नहीं दे सकती है । यही मसला जमीन का है । आपको देखना होगा कि आया जमीन जो जैनुइन टिल्लर है उसके पास है या शहर में तहसील हैडक्वार्टर में जो रहता है और दूसरा धंधा करता है और यही कोशिश करता है कि जितना अनाज मिल गया उतना ही ठीक है, उसके पास है । अगर जमीन एक ऐसे आदमी के हाथ में हो जो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकता हो, उसके स्त्री बच्चे सब सामूहिक मेहनत करके ज्यादा फसल पदा करने की कोशिश करते हों, तो यह जो साद्य समस्या है हल हो सकती है । हमारे देश में बहुत भारी संख्या खेतीहर लोगों की है । उनके पास ही ज्यादा से ज्यादा खेती का जमीन रहनी चाहिये । बस देखने की केवल इतनी जरूरत है कि जमीन किस के पास है ।

इन शब्दों के साथ माननीय नवल प्रभाकर जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है और जो दिक्कतें सामने आई हैं, उनका निराकरण करने की कोशिश की है, उनको शासन को दूर करना चाहिये और यह कोशिश करनी चाहिये कि जो जैनुइन टिल्लर है, उसके पास ही जमीन रहे ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं माननीय नवल प्रभाकर जी को इतना सुन्दर बिल लाने के लिए बधाई देता देना चाहता हूं । इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के भूमिधारी एक्ट में कमियां रह गई थीं, उनको दूर करने की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । अगर वे खामियां दूर नहीं होतीं हैं तो किसान सुखी नहीं हो सकेंगे . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है । यह बिल सिर्फ दिल्ली के बारे में है ।

श्री यशपाल सिंह : उन्होंने जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश के भूमिधारी कानून के मुताबिक यहां का कानून है । वह बिल मेरे हाथों का बनाया हुआ है । उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश असेम्बली में था । मैं उन खामियों को समझ रहा हूं ।

श्री हजरतबीस : माननीय सदस्य लोकसभा में हैं, उत्तर प्रदेश असेम्बली में नहीं हैं । अब वह यहां आ गए हैं ।

श्री यशपाल सिंह : इस बिल की जो सबसे बड़ी खामी है वह यह है कि जमींदारी प्रथा का जब तक एबालिशन नहीं हुआ था, तो जमींदारी एबालिशन में तीन साल तक जमींदार डिग्री नहीं कर सकता था, लगान की डिग्री तीन साल तक नहीं कर सकता था और फिर डिग्री में भी वह उसके बैलों को, हल को, गाड़ी को और मकान को नहीं ले सकता था । यह ला इसलिए डिफैक्टिव है कि इसमें हर छः महीने में काश्तकार की कुर्की हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके हथकड़ियां डाल दी जाती हैं, उसके बैल,

उसकी गाड़ी, उसका हल इत्यादि नीलाम कर दिये जाते हैं। यह जो बहुत बड़ी परेशानी है, इसको दूर किया जाना चाहिये। यह जो बिल माननीय सदस्य लाये हैं, यह बहुत सुन्दर कार्य उन्होंने किया है और इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

किसानों के ऊपर आज जो बार है, उसको आप देखें। मान लीजिये जो जमीन दी गई थी वह छः साल में दी गई थी और छः साल तक किसान उससे महरूम रहा, उससे वंचित रहा। छः साल तक किसान को जो नुकसान हुआ है, उसको पे करना भी सरकार का काम है और कहीं न कहीं से उसका कम्पेंसेशन उसको मिलना चाहिये, चाहे जमींदार से कराया जाए या सरकार खुद करे। काश्तकार के ऊपर बोझ न पड़े, इसको आप देखें।

मैं नवल प्रभाकर जी से कहना चाहता हूं कि उनको पैसिमिस्ट कभी नहीं होना चाहिये। प्रभाकर कभी अस्त नहीं हो सकता है। 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।" यह अस्त नहीं हो सकता है। यह हमेशा उदय रहेगा और हम लोग दुनिया की तरफ जब भी देखेंगे कल्याण के लिए देखेंगे। गुड इज मोर दैन ए मैच फार बैड। हमेशा यही होगा कि सत्य जीतेगा और असत्य हारेगा। हमेशा धर्म की जीत होगी और अधर्म हारेगा। यह कहना कि नवल प्रभाकर अस्त हो गया है सुन्दर नहीं है। हम इस को मानते हैं कि संसार में हम आशावाद के लिए, सुन्दरता के लिए, सत्यं शिवं सुन्दरम् के लिए आये हैं और जब तक इस मिशन में हम सफल नहीं हो जाते हैं, इस ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक सचाई के लिए लड़ते रहेंगे और उसी के लिए काम करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि काश्तकार को जो छः साल के अन्दर नुकसान हुआ है, उसको जमींदार या सरकार पूरा करे।

श्री हजरतवीस : उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से प्रेरित हो कर यह विधेयक लाया गया है, उसके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन जिस सवाल के आधार पर इन्होंने इसको यहां उपस्थित किया है, वह अस्तित्व में ही नहीं है।

आप को याद होगा मैंने पूछा था कि अभी तक हाई कोर्ट से कोई ऐसा फैसला हुआ है जिस में कहा गया हो कि चूंकि डी० सी० ने रेवेन्यू असिस्टेंट को यह अखत्यार दिया नहीं है, इसलिए जो कार्रवाई रेवेन्यू असिस्टेंट के सामने हुई, वह नाजायज थी और इसलिए भमिधारी हक नहीं दिया गया? अगर इस तरह का कोई फैसला होता तो हमारा कर्तव्य होता कि हम सोचें कि कुछ न कुछ दुरुस्ती की जाये। जब हम विधेयक में यह कहते हैं कि फलां चीज होनी चाहिए और उस में हम को कोई कठिनाई होती है, दिक्कत आ जाती है, महज इसी वजह से कि प्रोसीजर की कोई बात, व्यवस्था की कोई बात ठीक तरह से नहीं की गई है और इसलिए जो हक मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है, तो जरूर मैं मानता हूं कि हमें कानून में उस तरह की दुरुस्ती करनी चाहिये जिससे कानून के मुताबिक जो लोगों को हक मिलना चाहिये वह मिल जाये। लेकिन अभी तक यह मालूम नहीं हुआ है कि प्रासीजर में काई कमी है। अभी दो चार जो फैसले हुए हैं हाई कोर्ट्स के, उस में साफ तौर से कहा गया है कि रेवेन्यू असिस्टेंट के सामने जो कार्रवाई हुई है वह ठीक हुई है और डी० सी० को जिस तरह के हुक्म करने चाहियें, उस तरह के हुक्म उन्होंने किये हैं और रेवेन्यू असिस्टेंट ने आगे जो कार्रवाई बढ़ाई, प्रोसीजरल कार्रवाई जो की, वह ठीक तरह की थी . . .

श्री यशपाल सिंह : हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते किसान के जो हजारों रुपये खराब हुए हैं, उसको कौन पूरा करेगा और वे कैसे पूरे होंगे?

श्री हजरनवीस : जब तक कोई झगड़ा करने को तैयार है तब तक कोर्ट के दरवाजे उसके लिये बन्द नहीं हो सकते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि जब किसान को जमींदार के खिलाफ हक दिया जाता है तो जमींदार हाई कोर्ट तक मामले को पहुंचाये बिना नहीं रहते हैं, चाहे आप कानून कैसा ही बना लें। यह तो होता ही है। ऐसा कानून कोई नहीं बना सकता है जिस के बारे में अदालत में कोई न कोई सवाल खड़ा न किया जा सके। वह तो होगा ही। फिर भी हम मानते हैं कि साफ तौर से कानून बनना चाहिये और उस पर इस तरह से अमल किया जाना चाहिये जिससे किसी तरह के झगड़े की कोई गुंजाइश न रहे और न ही कानून में किसी तरह के शक की गुंजाइश रहे।

जहां तक मुझे मालूम है ऐसे दो चार मामले और भी हैं जिन में जो अधिकार दिये गये हैं, उन के ऊपर संशय जाहिर किया गया है और वे मामले हाई कोर्ट्स के विचाराधीन हैं। अगर उन का फैसला इस तरह का होता है कि रेवेन्यू असिस्टेंट ने जो कार्रवाई की वह नाजायज की, तो जरूर कानून में दुरुस्ती करने की बात सरकार सोचेगी।

इतना आश्वासन देने के बाद मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक को वापिस ले लेंगे और मैं उन से दरख्वास्त भी करता हूं कि वह इस को वापिस ले लें।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : छोटे किसानों को अनावश्यक लिटिगेशन से बचाने के लिए क्या यह उचित न होगा कि सरकार स्वयं इस तरह के केसिस को स्टडी करे ताकि कानून में जो खामी रह गई है, उस खामी को दूर किया जा सके ?

श्री हजरनवीस : अभी तक जो फैसले हुए हैं, उनके अनुसार किसी हाई कोर्ट ने कानून में कोई खामी नहीं पाई है। जब तक खामी पाई नहीं जाती है तब तक दुरुस्ती किस बात की की जाये ?

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उस के उत्तर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि १९५४ में यह बिल आया और उस के बाद इसने कानून का रूप धारण किया। कानून बनते ही मुकदमे-बाजियां शुरू हो गईं और बहुत से लोग बेदखल हो गये। इस समय यह एक बड़ी भारी समस्या सरकार के सामने है और लोगों के सामने भी है। जब नीचे के कोर्ट ने बेदखल कर दिया तो बहुत से लोग जो कि, जैसा मैं ने कहा, बहुत गरीब थे, जिन के पास पैसा नहीं था, जिन में आगे लड़ने की हिम्मत नहीं थी, वह नीचे के कोर्ट ने जैसा फैसला दिया उस को मान कर बैठ गये। वे आगे नहीं बढ़ सके।

मैं आप का आश्वासन तो माने लेता हूं, किन्तु उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों के मामलों का लोअर कोर्ट में फैसला हो गया और जो अपने अधिकार से वंचित हो गये। ऐसे केस एक या दो नहीं हैं, सैकड़ों हैं। जो लोग जरा सम्पन्न थे या जिन को पैसा मिल सकता था वह तो हाई कोर्ट में चले गये, किन्तु कितने किसान हाई कोर्ट में जा सकेंगे, यह देखने की बात है। एक, दो या चार आदमी हाई कोर्ट में चले गये तो चले गये लेकिन सैकड़ों लोग नीचे के कोर्ट से ही घबरा कर रुक गये। मैं बतलाना चाहता हूं कि जब मैं गांव में जाता हूं तो गांव के लोग क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम ने हमें भूमिधर बनाया, पहले हम रोटी तो दो जून खा लेते थे, अब वह बात भी खत्म हो गई।

इस में एक बात और भी है कि जब उस के खिलाफ लोअर कोर्ट में फैसला हो गया तो उस का दिल टूट गया। उस ने काश्त नहीं की। जब उस ने काश्त नहीं की तो उस की गिरदावरी बदल गई, और ऐसे बहुत से केसेस हुए।

तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बीच में जो ऐसे लोग हैं जो कि आगे मुकदमे नहीं ले जा सके और जिन की गिरदावरियां बलद गईं, उन का क्या होगा, यह एक सोचने वाली बात है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के किसानों के जीवन में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ तो उन को दिखलाने के लिये कह दिया गया कि हम ने तुम को भूमिधर बना दिया और वह खुश हो गये, दूसरी तरफ उन के जो अधिकार थे, चाहे आप उस को प्रशासन की गलती समझिये या यह समझिये कि जो जमींदार थे उन की ऐप्रोच थी उस के कारण, जो कुछ उन को मिलने वाला था वह उन को नहीं मिला। यह जो गफलत की गई है उस के कारण लोगों को जो कठिनाई, परेशानी और जो हानि हुई है उस का मंत्री महोदय ने कोई हल नहीं बतलाया, कोई समाधान नहीं बतलाया।

जैसा उन्होंने कहा, अगर हाई कोर्ट ने किसानों के खिलाफ फैसला दे दिया तो वे स्वयम् एक विधयक लायेंगे। अच्छी बात है, विधेयक लाया जाना चाहिये, लेकिन विधेयक लाने के बाद इतना तो जरूर सोचना चाहिये कि जो नुकसान उन किसानों का हुआ है, जो परेशानी उन को हुई, जो कठिनाई उन को भुगतनी पड़ी, उस को जाने भी दिया जाये, किन्तु जो नुकसान हुआ है, उस का हर्जाना दिलाने का भी सरकार को कोई प्रबन्ध करना चाहिये, उस के लिये कोई कदम उठाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर विश्वास करता हूं और मैं समझता हूं कि वह किसानों को न्याय दिलायेंगे। मुझे इस की पूरी उम्मीद भी है क्योंकि सरकार पहले स्वयम् बिल लाई और उन को अधिकार दिलाया, किन्तु किसी गफलत से वह अधिकार से वंचित हो गये। मैं ने जो आप का ध्यान आकर्षित किया है, मैं समझता हूं कि आप सहानुभूतिपूर्वक उस की ओर देखेंगे और हाई कोर्ट के फैसले को भी देखेंगे तथा किसानों को जो कठिनाइयां, परेशानियां और जो आर्थिक हानि हुई है और जो जमीन की हानि हुई है उस के सम्बन्ध में उन को सन्तोष दिलाने की कृपा करेंगे।

Mr. Deputy-Speaker: Does he withdraw the Bill?

Shri Naval Prabhakar: Yes, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: Has he the leave of the House to withdraw the Bill?

Some Hon. Members: Yes.

The Bill was, by leave, withdrawn.

16.55 hrs.

THE DELIVERY OF BOOKS AND NEWSPAPERS (PUBLIC LIBRARIES) AMENDMENT BILL

(*Amendment of Section 2*) by Shri C. K. Bhattacharyya

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): Mr. Deputy-Speaker, I move:

> "That the Bill further to amend the Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 be taken into consideration."

Sir, the purpose of this amendment is to insert in clause (a) of section 2 of the Delivery of Books and Newspapers Act of 1954 after the words 'printed or lithographed', the words 'and phonograph discs popularly known as gramophone records'. That is the one material section of my Bill.

In the *statement of objects and reasons*, I have explained the causes which led me to bring in this Bill. The old records of recitations, speeches and music by Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Faiz Khan, R. C. Boral and other illustrious persons and musicians are fast depleting as no copy of these records is preserved. There is no provision in the